

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहम हुकम में
20 ⁷ / ₁₇	<p>जम्ही पेरी वेंने पर पत्रावली भाल पेश हुई। अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 20.9.17 को पेश हो।</p>	
20 ⁹ / ₁₇	<p>पत्रावली पेश हुई। बकलाय सप. अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 16.11.17 को पेश हो।</p>	
16 ¹¹ / ₁₇	<p>पत्रावली पेश हुई। बकलाय सप. अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 16.11.17 को पेश हो।</p>	
30/1/17	<p>पत्रावली पेश हुई। बकलाय सप. अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 19-1-18 को पेश हो।</p>	
19-1-18	<p>पत्रावली पेश हुई। बकलाय सप. अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 22-3-18 को पेश हो।</p>	
23.3.18	<p>पत्रावली पेश हुई। बकलाय सप. अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 8-6-18 को पेश हो।</p>	
21 ⁰⁸ / ₁₈	<p>विद्यत पेशी का एक दिवस का अवकाश होने से पत्रावली पेश हुई। बकलाय सप. अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 15/11/18 को पेश हो।</p>	

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

07⁰²/₁₉ पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठारीन अधिकारी
~~दोसरे पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त।~~ अधिमन्त/गण की हउतक
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-9/5/19-को पेश हों

09⁰⁵/₁₉ पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठारीन अधिकारी
~~दोसरे पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त।~~ ✓
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-29/08/19-को पेश हों

29⁰⁸/₁₉ पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुपस्थित/ पीठारीन अधिकारी
~~दोसरे पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त।~~ ✓
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक-21/11/19-को पेश हों

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार आवज
लगवाई गई। बावजूद आवज लगवाने वकूलाग
उत्कमपन्न अथवा पत्रावलीन में से कोई भी
राजित अयालत नहीं आया है। अतः प्रकरण
अदम हाजिरी एवं अदम पेशी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से
कम हो तथा बाद तलमील दाखिल इफतर हों।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।